App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CS-00) सिरोही मुकाम

प्रार्थी

स्टेट बहलीमचर सिरोही बनाम अपिनता

किस्म मुकदमा

राजस्व पत्र
अनुक्रम 177 R.T.Act

राजस्व प्र. सं. 146/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
दि० 24-4-18	पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब आवश्यक राजकार्य में व्यस्त होने पत्रावली राज० कोष अधिनियम सिरोही में अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 30-6-2018 को पेश हो।	
दिनांक 30-6-2018	आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्यार्थी राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की मुहिम के तहत न्याय मित्र द्वारा अभियान 2018 के तहत राज० कोष अधिनियम कोर्ट पं. स. सिरोही के सभाभवन में मेरे समक्ष पेश हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी स्टेट की ओर से वहलीमचर सिरोही तथा अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार पुरोहित ने हाजिर होकर प्रकरण में बहस करने से बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने सुनवाई के दौरान प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी स्टेट वहलीमचर सिरोही के इस प्रकरण के मुताबिक मौजा सिरोही के जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता नंबर 13 खसरा नंबर 329 रकबा 1.8800 हेक्टेयर किस्म बारी-I अप्रार्थी की खातेदारी भूमि गई हुई है। उक्त भूमि मौका 0.0553 हेक्टेयर भूमि का बिना	

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

आवासीय रूपान्तरकरण कराये पक्का निर्माण (भवन) किया है इस प्रकार मौके अनुसार 0.0553 हेक्टेयर भूमि का कृषि में उपयोग नहीं हो रहा है जिससे आवेदक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया है। इस कारण उक्त आराजी सरकार के खाते में दर्ज करने का बहतीमल सिरोही ने निवेदन किया।

वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत उक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 329 रकबा 1.8800 हेक्टेयर में से 0.0553 हेक्टेयर जिस पर भवन निर्माण बिना संपरिवर्तन कराये करवाया है। उक्त भूमि पर हुये निर्माण की संपरिवर्तन की पत्रावली एक माह के भीतर संबंधित विभाग में पेश कर दूंगा। अतः श्रीमान कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाने फरमावें।

हमने प्रार्थी बहतीमल सिरोही तथा वकील आवेदक की बहस पर शांतिपूर्वक से मनन किया। विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र, नकल हेल अमाबंदी संवत 2070-73 खाता नं. 13 ख.नं. 329 रकबा 1.8800 हेक्टेयर फिस्म चाही-I मौका दि. 6.7.2017 तथा वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का भी अध्ययनपूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह तथ्य भी आवेदक ने जरिये वकील प्रार्थनापत्र पेश कर इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदक ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 329 रकबा 1.8800 हेक्टेयर में से 0.0553 हेक्टेयर भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये पक्का निर्माण (भवन) बनाया है तथा आवेदक ने उक्त बिना संपरिवर्तन कराये भूमि रकबा 0.0533 हेक्टेयर जिस पर पक्का निर्माण (भवन) बनाया है जिसका संपरिवर्तन कराने की पत्रावली

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page

App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CS) मुकाम सिरोही

प्रार्थी

स्टेट सहशीलदार सिरोही

बनाम जनता

किस्म मुकदमा

आर.टी.आई. 177 R.T.Act

आर.टी.आई. सी. 146/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	एक माह के भीतर पेश करने का निवेदन भी किया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर व्यक्तिगत हाजिर होना रखते हुये प्रार्थी स्टेट सहशीलदार सिरोही का विचारण यह प्रकरण आर.टी.आई. 177 R.T.Act का विचारण अप्रार्थी इस शर्त के साथ खारिज कर अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह एक माह के भीतर अप्रार्थी सभी खातेदारी कृषि भूमि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही-I तहसील सिरोही में स्थित खसरा नं. 329 रकबा 1.8800 हेक्टेयर में से 0.0533 हेक्टेयर भूमि जिस पर बिना संपरिवर्तन कराये पक्का निर्माण (भवन) बनाया है उक्त बिना संपरिवर्तित भूमि को संपरिवर्तन कराने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पेश करे, अन्यथा इस प्रकरण को Suo.O. Moto रेस्टोर कर विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया जावेगा। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित थे। निर्णय सार्वजनिक किया सूचित रहे। निर्णय सार्वजनिक किया कोर्ट परिसर सिरोही के सभाभवन में खुले आम में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

30/6/18

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)